NAFED had appointed enquiry committees to enquire about certain allegations of malpractices in the purchase, processing and sale of pulses and also import of wet dates in which some Senior Officers of the NAFED were allegedly involved. It is reported that these committees are yet to submit their report to the Board of Directors of NAFED.

(b) Recently, on the recommendations of the Penal Authority constituted by the Government of India the Board of Directors of NAFED have appointed a Senior I.A.S. Officer as its Managing Director. Streamlining of internal administration is receiving the constant attention of NAFED.

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

2054. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन बिहार सरकार को अब तक कितनी राशि प्रदान की है ?

(ख) बिहार में इस कार्यक्रम के अधीन कौन-कौन से रोजगार हैं और वास्तव में कौन-कौन से रोजगार प्रदान किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार को कार्यक्रम के अनुपयुक्त कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) 1980-81 से लेकर 1982-83 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल 5670.56 लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गये निर्माण कार्यों की किस्म तथा श्रेणी को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। बिहार में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक रूप में शुरू किये जा रहे निर्माण कार्य ये हैं-- लघु सिंचाई कार्य, सामाजिक वानिकी कार्य, पेय जल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कार्यों का निर्माण तथा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के लिये सामूहिक घरों का निर्माण तथा भूमि विकास, गांवों के तालाब, बाढ़ बचाव, जल निकासी, भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, ग्रामीण सड़कें और स्कूल, बालवाड़ी भवनों तथा पंचायत घरों का निर्माण आदि।

(ग) राज्य मे कार्यक्रम के अनुपयुक्त कार्यान्वयन के संबंध में इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा राज्य के क्षेत्रीय दौरे करने के समय इसके कार्यान्वयन में जब भी कोई कमियां ध्यान में आती हैं, उन्हे राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन शामिल किए गए निर्माण कार्यों की किस्म तथा श्रेणी

(1) सरकारी तथा सामुदायिक भूमि जिसमें पंचायतों आदि की भूमि भी शामिल है, पर सामाजिक वानिकी, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, नहरों के तटों तथा रेलवे लाइनों के दोनों ओर बेकार

पड़ी भूमि पर पेड़ लगाना जिसमें ईंधन, चारे तथा फलदार वृक्ष लगाना भी शामिल है।

(2) गृह स्कूलों के लिए भूमि का विकास, सामूहिक आवास, पेय जल कुंओं आदि जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले निर्माण-कार्य।

(3) जल संचयन ढांचों का निर्माण अर्थात् मानवीय उपयोग अथवा पशुओं के लिये जल उपलब्ध कराने, सिंचाई या मछली पालन आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत तथा उन्हें गहरा करना और चैक डैमों, नाले के बांधों, गुली प्लींजा और गेसन डैमों आदि का निर्माण।

(4) लघु सिंचाई जिसमें सामुदायिक सिंचाई कुंओं का निर्माण तथा बाढ़ बचाव, जल निकासी तथा जल लग्नता निवारक कार्य, माध्यमिक तथा मुख्य नालियों और खेत की नालियों का निर्माण आदि शामिल है।

(5) भूमि संरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना;

(6) पेय जल कुंओं तथा अन्य जल स्रोतों, पशुओं के लिये जोहड़ों आदि और वन क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिये जल स्रोतों की व्यवस्था।

(7) निर्धारित मानकों और विनिर्दशनों के अनुसार ग्रामीण सड़कों का निर्माण इस शर्त के अधीन कि उनमें कठोर धरातल, क्रास निकासी, पुलियों आदि की व्यवस्था भी हो; और

(8) स्कूलों, औषधालयों, पशु चिकित्सा केन्द्रों, विस्तार केन्द्रों, बालवाड़ी भवनों, पंचायत घरों, सामुदायिक केन्द्रों, ग्रामीण बैंकों के आवास के लिये भवनों, पिंजरापोलों, गौशालाओं, सामुदायिक मुर्गी पालन तथा सूअर पालन गृहों, नहाने तथा कपड़े धोने के प्लेटफार्मों, सामुदायिक शौचालयों, सामुदायिक कूड़ेदानों, सामुदायिक वायो गैस संयंत्रों, बीज, कीटनाशक दवाइयों, उर्वरकों आदि को रखने के हेतु भण्डारों का निर्माण।

यह सूची केवल निदर्शी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे टिकाऊ निर्माण कार्यों जिसकी आवश्यकता है और जो ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिये जरूरी है, आरम्भ किये जा सकते हैं।

Shortfall in production

2055. SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to shortfall in production from 133 million tonnes in 1981-82 to 128 million tonnes in 1982-83, there is a likelihood of increase in prices and a resort to imports for the third consecutive year;

(b) if so, the causes for shortfall and how Government propose to face the situation; and

(c) whether the supply of poor quality of seed and fertilisers to the farmers is one of the reasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) In view of the expected shortfall in production of foodgrains, there may be some pressure on prices. However, to keep a check on prices and to build up buffer stock, an import of 3.95 million tonnes of wheat has been contracted from abroad during 1982-83. There is no proposal with the Govern-